<u> भारतीय मानक ब्यूरो</u> (डीएलबीओ-1)

प्रैस रिलीज

भारतीय मानक ब्यूरो ने पैकेजबंद पेयजल की फैक्ट्री पर छापा मारा

भारतीय मानक ब्यूरो (भामाब्यूरो) ने 06 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में मैसर्स श्री साईं बेवरेजेज़, मकान नं. 7, ब्लाक-1, पैट्रोल पम्प के पास, डब्लू एच एस कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015 पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई 20 लि. क्षमता वाले पैकेजबंद पेयजल जार का उत्पादन लाइसेंस न. सीएम/एल - 8100031991 के अंतर्गत "वंशिका प्रीमियम" ब्रांड नाम से भारतीय मानक ब्यूरो का वैध लाइसेंस लिए बिना निर्माण कर रही थी, जो भामाब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 17(3) का उल्लंघन है व दण्डनीय अपराध है। बड़ी मात्रा में 20 लि. क्षमता वाले "वंशिका प्रीमियम" ब्रांड वाले लेबल लगे हुए खाली पानी के जार ज़ब्त किए गए।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS DLBO-I

PRESS RELEASE

BIS raid at Packaged Drinking Water Manufacturing Unit

Bureau of Indian Standards (BIS) conducted an enforcement raid at M/s Shree Sai Beverages, House No. 7, Block-1, Near Petrol Pump, WHS Kirti Nagar Industrial Area, New Delhi-110015. The firm was manufacturing Packaged Drinking Water packed in 20L capacity filled jars under brand "Vanshika Premium" with licence no. CM/L-8100031991 without having a valid BIS licence, violating Section 17 (3) of BIS Act, 2016 which is a cognizable offence. A huge quantity of 20 L capacity empty jars having "Vanshika Premium" Brand label were seized.

- @